

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पत्रांक: ए.ई.-2/03/नि.वि.-1/वर्ग-2/AGT-2023/889/वोल-1/1274

दिनांक: 25-03-2025

कार्यालय आदेश

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 27-Staff (App-III)/2024 दिनांक 16-08-2024 एवं 4-Staff (App-III)/2025 दिनांक 22-01-2025 द्वारा पारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में खंडीय लेखाकार संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानांतरण के पूर्व वरीयता के क्रम में पदस्थापना हेतु स्टेशनों का विकल्प देना अनिवार्य है। मुख्यालय द्वारा अपने पत्र संख्या 767-Staff (App)-III/110-2023 दिनांक 21-11-2024 में स्टेशन की परिभाषा निम्न दी गयी है:

"The term 'Station' will cover the municipal area of a town and if any town has more than one municipal area, all the municipal area will be treated as one station."

अतः इस क्रम में प्रत्येक जिले में तैनात खंडीय लेखाकार संवर्ग के नोडल अधिकारी (जो प्रांतीय खंड में पदस्थ हैं/अतिरिक्त प्रभार है) को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 07-04-2025 तक उपरोक्त परिभाषा के अनुसार जिस जिले में पदस्थ हैं उस जिले के समस्त स्टेशनो तथा उसमे स्थित खण्डों का विवरण प्रस्तुत करें ताकि इस कार्यालय के डाटाबेस में तदनुसार स्टेशनों की सूची अधतन कर दी जाए। जिन जिलों में कोई अलग से स्टेशन नहीं है उसकी भी सूचना प्रेषित करें।



वरिष्ठ उप महालेखाकार/डी.ए.सी.सी.

पत्रांक: ए.ई.-2/03/नि.वि.-1/वर्ग-2/AGT-2023/889/वोल-1/777-778

दिनांक: 25-03-2025

प्रतिलिपि निम्न को ऑफिस वेबसाइट के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रांतीय खंड में पदस्थ/प्रांतीय खंड का अतिरिक्त प्रभार देखने वाले सम्बंधित नोडल अधिकारी/कर्मचारी।
2. श्री मयंक पाण्डेय, महासचिव, उत्तर प्रदेश डी.ए.ओ./डी.ए. एसोसिएशन।


वरिष्ठ लेखाधिकारी/डब्लू. एम-1